v/;k; &1

e/;izns'k tsy foHkkx ds varxZr mi tsyj in ij inksUufr gsrq foHkkxh; p;u ijh{kk 2008

%% p;u lEca/kh fu;e %%

मध्यप्रदेश शासन जेल विभाग के पत्र क्रमांक 2062/2983/2007/3/जेल दिनांक 01.09.2007 के अनुसार मध्यप्रदेश जेल विभाग में उप जेलर के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2008 के लिये निम्नलिखित निर्देश लागू होंगे।

ink dh la[;k] vkgrk,a ,o vko’;d 'krsa vkfn dk fooj.k fuEukuqlkj gS

मध्यप्रदेश जेल विभाग में विभागीय चयन परीक्षा व्दारा उप जेलर के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जावेगी। इस विज्ञापन व्दारा इन पदों पर नियुक्ति के लिये इच्छुक जेल विभाग में नियमित पदों पर कार्यरत प्रहरी संवर्ग, लिपिक वर्गीय संवर्ग तथा शिक्षक संवर्ग के पुरूष/महिला उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। उप जेलर के पद का वेतनमान रूपये 4500–125–7000 है।

1 fjDr inksa dh la[;k

क्र	संवर्ग का नाम	अजा	अजजा	अनारक्षित	योग
1	2	3	4	5	6
1	प्रहरी वर्ग	01	01	07	09
	संभावित रिक्तिया दिनांक 30.06.2010 तक	00	00	01	01
2	लिपिक वर्ग	01	03	00	04
3	शिक्षक वर्ग	02	00	01	03
योग		04	04	09	17

उपरोक्त पदों की पूर्ति में शासन द्वारा आरक्षण के संबंध में समय–समय पर जारी आदेशों के तहत पद सुरक्षित होगें। अंतिम चयन के समय वास्तविक रिक्त पदों की स्थिति को देखते हुए आगामी 1 वर्ष की अवधि में संभावित रिक्त होने वाले पदों को सम्मिलित करते हुए उपरोक्त पदों में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।

2. विभागीय परीक्षा के आयोजन हेतु परीक्षा केन्द्र भोपाल में स्थित होगें।

3 आवेदक द्वारा उसके वर्तमान संवर्ग में नियमित रुप से कम से कम तीन वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली गई हो। साथ ही वह पुरानी पद्धति से हायर सेकेन्ड्री परीक्षा अथवा 10 + 2 के अन्तर्गत इन्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मध्यप्रदेश जेल (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1974 यथासंशोधित में निम्नानुसार उल्लेखित उप जेलर पद की शारीरिक वांछित आर्हताऍ पूर्ण करता होः—

(1) ऊॅचाई पुरुष — 1.65 मीटर या उससे अधिक
महिला — 1.58 मीटर या उससे अधिक

(2) सीना पुरूष — 0.80 मीटर

(3) अभ्यार्थी शारीरिक रुप से अपंग नहीं होना चाहिए।

(4) अभ्यार्थी चिकित्सीय दृष्टि से योग्य होना चाहिए।

(5) उपरोक्त न्यूनतम शारीरिक आर्हताओं में किसी भी वर्ग के किसी भी आवेदक को कोई छूट का प्रावधान नहीं है

4- fyf[kr ijh{kk

लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, प्रश्न पत्रों का विषय, अवधि एवं अधिकतम अंक निम्नानुसार होंगे।

क्रमांक	विषय	दिनांक	दिन	अवधि	समय	अधिकतम अंक
01	मूलभूत नियमएवं जेल नियमावली			02 घण्टे		100
02	सामान्य ज्ञान			02 घण्टे		100

टीप :— 1 परीक्षार्थी को लिखित परीक्षा के लिये काला बालपेन, एच.बी.पेन्सिल,अच्छी क्वालिटी का रबर, शार्पनर अपने साथ लाना ले आना होगा ।

2 प्रत्येक संवर्ग के अभ्यार्थी के लिये साक्षात्कार की पात्रता के लिये उपरोक्त दोनो विषय की परीक्षा कम से कम 40 प्रतिशत अर्थात 40—40 अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

3 परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के केल्कुलेटर, मोबाईल, अशासकीय पुस्तक/परिपत्र/पत्र आदि रखने की अनुमति नही दी जावेगी। लिखित परीक्षा में जो उम्मीदवार निर्धारित नियमों का उल्लघंन, नकल करते हुए अथवा परीक्षा पर्यवेक्षकों से अभद्रता पूर्ण व्यवहार करने के दोषी पाए जायेंगे। उनके विरूद्व उचित वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

%% f}rh; pj.k %%

प्रथम चरण में लिखित परीक्षा के परिणाम में सफल घोषित आवेदकों को द्वितीय चरण की परीक्षा में सम्मलित होने के लिये सूचित किया जावेगा।

¼1½ lk{kkRdkj

लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिये पात्रता होगी। साक्षात्कार 30 अंकों का होगा।

¼2½ ckul vad

जिन अभ्यार्थियों के पास निम्नानुसार विशिष्ट योग्यताएॅ होगी उन्हें विभाग द्वारा दस्तावेज/ प्रमाण पत्र जांच पश्चात् 05 बोनस अंक दिये जावेंगे :–

- एन.सी.सी. का ''सी.'' प्रमाण पत्र
- एल.एल.बी. उपाधि धारक
- कम्प्यूटर में 02 वर्ष का डिप्लोमा
- चार पहिया वाहन चालन में लायसेंस सहित 05 वर्षो का अनुभव

¼3½ p;u lwph

उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही के उपरान्त उप जेलर पद पर पदोन्नति के लिये अंतिम वरियता सूची, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और बोनस अंक में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाकर चयन सूची का प्रकाशन किया जावेगा। समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सह वरिष्ठता लिखित परीक्षा के अंको के आधार पर निर्धारित की जावेगी। लिखित परीक्षा में भी प्राप्तांक समान होने पर आयु के आधार पर आपसी सह वरिष्ठता का निर्धारण किया जावेगा।

¼4½ fu;fDr

चयनित उम्मीदवारों को जेल विभाग में प्रदेश में स्थित किसी भी जेल पर जहॉ पदों की रिक्तता एवं पदस्थापना की आवश्यकता हो पदस्थ किया जा सकेगा।

¼5½ izf'k{k.k

उप जेलर पद पर पदोन्नति के उपरान्त निर्धारित अवधि में निर्धारित मानक स्तर से प्रशिक्षण करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण सत्र प्रारंभ किये जाने की सूची उप जेलर पद पर पदोन्नति हेतु चयनित उम्मीदवार को पृथक से भेजी जवेगी। प्रशिक्षण में छूट देने के लिये किसी भी तरह का कोई भी आवेदन मान्य नही किया जावेगा। निर्धारित अवधि का मूलभूत प्रशिक्षण पूर्ण न करने वाले उम्मीदवार की उप जेलर पद पर पदोन्नति निरस्त की जा सकेगी। प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न शारीरिक तथा बौद्विक प्रशिक्षण, अस्त्र–शस्त्र संचालन आदि का प्रशिक्षण दिया जावेगा। इसमें किसी कारणवश कोई क्षति होने पर विभाग जिम्मेदार नही होगा।

प्रशिक्षण में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक अभ्यार्थी को प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण करना अनिवार्य होगा । अनुत्तीर्ण अम्मीदवार को प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के लिये एक अवसर प्रदान किया जावेगा। जब तक वह सफलता पूर्वक प्रशिक्षण उत्तीर्ण नही कर लेता तब तक उसे प्रशिक्षण संस्था में रहना होगा। उक्त दोनों अवसरों में प्रशिक्षण उत्तीर्ण नहीं करने की दशा में उसकी उप जेलर पद पर की गई पदोन्नति निरस्त कर दी जावेगी।

vfr- tsy egkfujh{kd
e/;izns'k] Hkksiky